अनुदान संख्या 60 – श्रम मंत्रालय
GRANT No. 60–MINISTRY OF LABOUR

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	970,85,00		970,87,00	918,50,50	–52,36,50
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					43,25,70
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			16,00	75	–15,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					14,95

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम तथा रोजगार'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230" – "Labour and Employment".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2251''	Major Head "2251"				
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat–Social Services				
मू.	O.	1520.00	1359.00	1304.80	–54.20
पु.	R.	–161.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving– (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230'' श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	92734.00			
पू.	S.	2.00	89222.08	88439.71	–782.37
पु.	R.	–3513.92			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1700.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1700.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants–in–aid to State Governments				
मू.	O.	787.00	1932.01	1874.05	–57.96
पु.	R.	1145.01			

(I) 1742.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1700.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने तथा शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.1742.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.1700.00 lakhs alone was under Major Head "2552"–"Other Expenditure - Lumpsum provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim"- due to utilisation of funds by re-appropriation to meet expenditure for establishment of new Industrial Training Institutes in North Eastern Region including Sikkim from the concerned functional heads and surrender of remaining amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251'' - "सचिवालय - श्रम मंत्रालय'' के अंतर्गत 215.20 लाख रु. की बचत (1520.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और वर्ष 2002 तथा 2003 के लिए प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार समारोह का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat– Ministry of Labour" – saving of Rs.215.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1520.00 lakhs) was due to non–filling up of vacant posts and non-organisation of the function of Prime Minister's Shram Award for the year 2002 and 2003.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "श्रम"-

(क) "अनुसंधान तथा सांख्यिकी - अनुसंधान तथा सांख्यिकी के अधीन योजना स्कीमें"- 267.94 लाख रु. की बचत (833.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने और पदों को समाप्त किए जाने, कार्यालय खर्चों के प्रस्तावों को मूर्तरूप न दिए जाने, व्यावसायिक सेवाओं के लिए मानदेय की दरों का संशोधन न किए जाने तथा श्रम ब्यूरो स्टाफ द्वारा किए गए मकान किराया सर्वेक्षण के कार्य को फिर से कराए जाने के कारण हुई।

(ख) "औद्योगिक संबंध"-

(i) "अन्य मदें"- 166.31 लाख रु. की बचत (278.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चार नए केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों के क्रियाशील न होने और संबंधित वस्तुगत शीर्षों में कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त"- 152.16 लाख रु. की बचत (1640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और दौरों, किराया, दरों एवं करों और व्यावसायिक सेवाओं पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(iii) "मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का सुदृढ़ीकरण"- 112.82 लाख रु. की बचत (322.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाही के दौरान व्यय की धीमी गति को देखते हुए संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने और दौरों, किराया, दरों एवं करों और व्यावसायिक सेवाओं पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2230" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Labour" -

(a) "Research and Statistics - Plan Schemes under Research and Statistics" – saving of Rs.267.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 833.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage, non-filling and abolition of vacant posts, non-materialisation of proposals of office expenses, non-revision of honorarium rates for professional services and work of repeat House Rent Survey done by Labour Bureau staff.

(b) "Industrial Relations"-

(i) "Other Items" – saving of Rs.166.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 278.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-functioning of four new Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts and less expenditure incurred in related object heads.

(ii) "Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioners" – saving of Rs. 152.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1640.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less expenditure on tours, rent, rates and taxes and professional services.

(iii) "Strengthening of Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioners" – saving of Rs.112.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.322.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage in view of low pace of expenditure during the first two quarters of the financial year, non-filling up of vacant posts and less expenditure on tours, rent, rates and taxes and professional services.

(ग) ''कार्य की स्थितियां और सुरक्षा''-

(i) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें''- 185.75 लाख रु. की बचत (355.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा दो नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय (मुख्य)''- 127.59 लाख रु. की बचत (1608.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, क्षेत्रीय कार्यालयों के बढ़े हुए किराए का निपटान न किए जाने और एक क्षेत्रीय कार्यालय को खान सुरक्षा महानिदेशालय के भवन में स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि - स्वास्थ्य''- 140.57 लाख रु. की बचत (667.59 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डाक्टरों के रिक्त पदों के न भरे जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव न किए जाने, सहायता अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त न किए जाने और नए वाहनों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि - जल आपूर्ति''- 175.82 लाख रु. की बचत (188.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(च) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि''-

(i) ''आवास''- 242.21 लाख रु. की बचत (1192.79 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिर्दिष्ट स्तर तक मकानों को पूरा न किए जाने और अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त न होने की वजह से सहायता अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''स्वास्थ्य''- 764.24 लाख रु. की बचत (3709.27 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डाक्टरों के रिक्त पदों के न भरे जाने, दौरों में कटौती किए

(c) "Working Conditions and Safety" -

(i) "Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (DGMS)" – saving of Rs.185.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 355.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-approval of two new schemes by Expenditure Finance Committee/Standing Finance Committee.

(ii) "Director General of Mines Safety (Main)" – saving of Rs.127.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1608.30 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts, non-settlement of enhanced rent of regional offices and shifting of one regional office to the building of the Director General of Mines Safety.

(d) "Iron Ore, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund - Health" – saving of Rs.140.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.667.59 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of doctors, non-maintenance by Central Public Works Department, non-receipt of proposals for grants-in-aid and non-purchase of new vehicles.

(e) "Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund – Water Supply" – saving of Rs.175.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.188.00 lakhs) was due to non-approval of proposals.

(f) "Beedi Workers Welfare Fund" -

(i) "Housing" – saving of Rs. 242.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1192.79 lakhs) was due to non-completion of houses up to specified level and non-release of Grants-in-aid owing to non-receipt of requisite documents.

(ii) "Health" – saving of Rs. 764.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3709.27 lakhs) was due to non- filling of vacant posts of doctors, curtailment in

जाने, बिलों के प्राप्त न किए जाने, जीवन बीमा निगम से प्रीमियम संबंधी दावे प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(छ) ''बाल/महिला श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिक कक्ष''- 509.39 लाख रु. की बचत (7243.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत -यू.एस. संयुक्त परियोजना, जिसके लिए वर्ष 2003-04 के दौरान 5.00 करोड़ रु. की राशि उद्दिष्ट की गई थी, का देर से अनुमोदन किए जाने के कारण हुई। परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद फरवरी, 2004 में ही शुरू किया जा सका।

(ज) ''आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण - लौह, मैगनीज क्रोम अयस्क श्रमिक कल्याण निधि को अंतरण''- 273.66 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनवरी से मार्च, 2004 के महीने के दौरान उपकर संग्रहण की विलंब से सूचना प्राप्त होने के कारण हुई जिसे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद प्राप्त किया गया था। अत: उन महीनों के दौरान संग्रहित राशि को अंतरित नहीं किया जा सका।

(खा) ''प्रशिक्षण''-

(क) ''शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण''-

(i) ''शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण''- 330.48 लाख रु. की बचत (1681.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, संबंधित शीर्षों के अंतर्गत कम व्यय किए जाने, भर्ती पर रोक लगी होने, मशीनरी और उपस्करों की आपूर्ति न किए जाने तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा बिलों को प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''अत्यधिक कुशल शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण''- 138.66 लाख रु. की बचत (739.73 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और संबंधित शीर्षों के अंतर्गत कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाएं''- 104.68 लाख रु. की बचत (596.00 लाख रु. के

tours, non-receipt of bills and non-receipt of Life Insurance Corporation premium claims.

(g) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – saving of Rs.509.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7243.00 lakhs) was due to late approval of Indo-US joint project for which an amount of Rs. 5.00 crore was earmarked during 2003-04. The project could only be launched in February, 2004 after approval by the competent authority.

(h) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts – Transfer to Iron, Manganese Chrome Ore Labour Welfare Fund" – saving of Rs.273.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to late intimation of cess collection during the month of January to March, 2004 which was received after the closing of the financial year. Hence, the amount collected during those months could not be transferred.

(B) "Training" –

(a) "Training of Craftsmen and Supervisors"-

(i) "Training of Crafts Instructors" - saving of Rs.330.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1681.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less expenditure under the related heads, ban on recruitment, non-supply of machinery and equipments and delay in submission of bills by Directorate General of Supplies and Disposals.

(ii) "Training of Highly Skilled Craftsmen and Supervisors" – saving of Rs.138.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.739.73 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less expenditure under the related heads.

(b) "Other Expenditure – Vocational Training Projects" – saving of Rs.104.68 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाही के दौरान व्यय की धीमी गति को देखते हुए संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने और नई योजना स्कीम के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of Rs.596.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage in view of low pace of expenditure during the first two quarters of the financial year, delay in submission of bills by Directorate General of Supplies and Disposals and delay in approval of a new plan scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - श्रम - बीड़ी कामगार कल्याण निधि - बीड़ी कामगारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास स्कीम''- 224.60 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से सहायता अनुदान के लिए दावे प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Labour – Beedi Workers Welfare Fund – Housing Scheme for Economically Weaker Section of Beedi Workers" – saving of Rs.224.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 350.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for grants-in-aid from the State Government of Andhra Pradesh.

(V) छः शीर्षों के अंतर्गत 414.57 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under six heads savings of Rs.414.57 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम - बीड़ी कामगार कल्याण निधि - शिक्षा'' - 433.71 लाख रु. का अधिक व्यय (3472.23 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति की स्कीमों के उदारीकरण के कारण हुआ।

(A) Major Head "2230" – "Labour – Beedi Workers Welfare Fund – Education – excess of Rs. 433.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 3472.23 lakhs) was due to liberalisation of schemes of scholarship.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान -शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें'' - 1357.74 लाख रु. का अधिक व्यय (121.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से निधियों के पुनिर्विनियोजन के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – excess of Rs. 1357.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 121.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" for Establishment of New Industrial Training Institute in North Eastern States including Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 8.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''6250'' - ''अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. In the capital section of the grant, provision of Rs.8.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "6250" - "Loans for Other Social Services".

5. *अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

वर्ष 2003-2004 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

5. ***Mica Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levies on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2003-2004 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,66,41
प्राप्तियां	Receipts	1,69,39
अदायगियां	Payments	1,17,34
अंतशेष	Closing Balance	2,18,46

6. *लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिजकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर, 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

वर्ष 2003-2004 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

6. Iron Ore Mines and Manganese Ore, Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund:-

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Government and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 which came in to force with effect from 1st September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2003-2004 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	122,98,97
प्राप्तियां	Receipts	12,28,39
अदायगियां	Payments	9,16,22
अंतशेष	Closing Balance	126,11,14

7. बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। इस निधि को बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर वित्त पोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

वर्ष 2003-2004 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

7. *Beedi Workers Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2003-2004 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	50,25,74
प्राप्तियां	Receipts	85,83,49
अदायगियां	Payments	82,14,30
अंतशेष	Closing Balance	53,94,93

8. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण की व्यवस्था है जोकि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

8. *Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed thereunder, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mine is sold or otherwise disposed off, to the occupier of any factory or issued by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

वर्ष 2003-2004 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2003-2004 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	25,03,26
प्राप्तियां	Receipts	10,07,72
अदायगियां	Payments	6,50,15
अंतशेष	Closing Balance	28,60,83

9. ***सिनेमा कामगार कल्याण निधि:-***

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

9. Cine Workers Welfare Fund:-

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

वर्ष 2003-2004 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2003-2004 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,51,41
प्राप्तियां	Receipts	85,12
अदायगियां	Payments	84,36
अंतशेष	Closing Balance	1,52,17